राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 72वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 को 11:00 बजे डॉ. डी.एस. बले, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. एम. एल. नाईक, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री. संजय शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेण्डा कमांक – 1 **दिनांक 25/04/2017 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ की 71वीं बैठक दिनांक 25/04/2017 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा कमांक – 2 **राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 223वीं एवं 224वीं बैठक कमशः दिनांक 20/04/2017 एवं 21/04/2017 की अनुशंसा के आधार पर खनिजों एवं परियोजनाओं के प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

निम्नानुसार प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लिया गया:-

1. **मेसर्स रायगढ़ कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-देहजरी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (548)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 18030/ 2016, यह आवेदन दिनांक 10/01/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी क्षमता – 0.96 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् खसरा नम्बर 22/1 20/1, 18/2, 24/3, 24/2, 23/1, 32/1 एवं 30/2, कुल क्षेत्रफल 13.77 एकड़, ग्राम-देहजरी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का प्रस्तावित कुल विनियोग रुपये 15.40 करोड है। कुल 13.77 एकड़ क्षेत्रफल में से 11.52 एकड़ क्षेत्रफल सीएसआईडीसी से लीज पर लिया गया है एवं शेष भूमि कंपनी के नाम पर पंजीकृत है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ की 222वीं बैठक दिनांक 22/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि कोल वॉशरी स्थापना हेतु वैकल्पिक स्थलों में से प्रस्तावित स्थल के चयन संबंधी जानकारी, समीपस्थ ग्राम-देहजरी से उद्योग स्थल की सीमा की वास्तविक दूरी, 05 कि.मी. के

परिधि में आने वाले ग्रामों, बस्ती, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, उद्योग, वन क्षेत्र, नदी / नाला आदि को दर्शाते हुये टोपोशीट में जानकारी, औद्योगिक दूषित जल की मात्रा, दूषित जल की उपचार व्यवस्था, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था, वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, वृक्षारोपण, रॉ–कोल / वॉशकोल / रिजेक्ट /स्लज के परिवहन की व्यवस्था आदि की जानकारी एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पवन अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री माहेश्वर रेड्डी तथा श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. स्थल का खसरा नम्बर 22/1, 20/1, 18/2, 24/3, 24/2, 23/1, 32/1 एवं 30/2, कुल क्षेत्रफल 13.77 एकड़ है, जो ग्राम–देहजरी, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ में स्थित है। यह प्रोजेक्ट वेट टाईप कोल वॉशरी का है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है।

2. समीपस्थ आबादी ग्राम–देहजरी 01 कि.मी., निकटतम शहर खरसिया 07 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन खरसिया 08 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा रायपुर 173 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। आरापथरा डेम 5.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। माण्ड नदी का तट 100 मीटर एवं कुरकेट नदी 800 मीटर की दूरी पर है । माण्ड नदी की तरफ बण्ड बनाया जाना प्रस्तावित है।

3. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

4. मुख्य प्लांट एरिया 3.0 एकड़, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड 2.0 एकड़, वॉश्ड कोल स्टोरेज यार्ड 1.5 एकड़, रिजेक्ट स्टोरेज 0.6, वॉटर स्टोरेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग 0.27 एकड़, आंतरिक मार्ग 1.30 एकड़, पार्किंग 0.5 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 4.6 एकड़ (33 प्रतिशत) क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। इस प्रकार कोल वॉशरी कुल क्षेत्रफल 13.77 एकड़ में प्रस्तावित है।

5. **मटेरियल बैलेंस** – कच्चे कोयले की आपूर्ति एस.ई.सी.एल. की छाल एवं बरौद खदान से किया जाना प्रस्तावित है। इनपुट के रूप में रॉ–कोल 3200 टन/ दिन तथा आउटपुट के रूप में वॉश्ड कोल 2240 टन/दिन एवं रिजेक्ट कोल 960 टन/दिन होगा।

6. **रॉ–कोल / वॉश्ड कोल परिवहन** – रॉ–कोल का परिवहन एस.ई.सी.एल. की छाल एवं बरौद खदान से मुख्यतः सड़क मार्ग (उद्योग स्थल के निकट रेल्वे साइडिंग नहीं होने के कारण) द्वारा वॉशरी परिसर में रॉ–कोल का परिवहन किया

जावेगा। वॉश्ड कोल का परिवहन निकट स्थित उद्योगों तक सड़क मार्ग द्वारा ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से तथा लम्बी दूरी में स्थित उद्योगों तक खरसिया रेल्वे साईडिंग तक ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से एवं उसके पश्चात् रेलमार्ग द्वारा (उद्योगों से किये गये एम.ओ.यु. के आधार पर) किया जायेगा। रिजेक्ट कोल का परिवहन सड़क मार्ग द्वारा ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से किया जायेगा।

7. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 210 घनमीटर/दिन जल खपत प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भूमिगत जल के उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** :– उद्योग से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 5.0 घनमीटर /दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर लगाया जावेगा। थिकनर से उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग पॉड में उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जावेगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल क्रशर में बेग फिल्टर स्थापित किया जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जावेगा। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा। कोल वॉशरी से उत्पन्न ध्वनि स्तर के नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था किया जावेगा तथा कर्मचारियों को ईयर प्लग भी उपलब्ध कराया जायेगा।

10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.288 मिलियन टन/वर्ष है, जिसे मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा पॉवर प्लांट को विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। थिकनर से प्राप्त स्लज को डि–वॉटरिंग कर वॉशरी रिजेक्ट में मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जावेगा।

11. **वृक्षारोपण** – कुल वृक्षारोपण एरिया 4.60 एकड़ में प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका विकसित करना प्रस्तावित है। खरसिया–छाल रोड साईड की तरफ कम से कम 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका विकसित करना प्रस्तावित है।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु कुल 0.9 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि मुख्य प्लांट को सड़क मार्ग (खरसिया–छाल रोड) से कम से कम 100 मीटर की दूरी रखते हुये स्थापित किया जावे। इस परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुख्य प्लांट को खरसिया–छाल सड़क मार्ग से 114 मीटर की दूरी पर स्थानांनतरित करने की सहमति दी गई।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग परिसर के चारों ओर 03 मीटर ऊंची पक्की बाउण्ड्रीवॉल निर्मित है। समिति का मत था कि खरसिया–छाल रोड साईड की तरफ कम से कम 06 मीटर ऊंची पक्की बाउण्ड्रीवॉल निर्मित करते हुये उसके ऊपर कम से कम 04 मीटर ऊंची स्क्रीन

लगाया जावे। साथ ही जल छिड़काव हेतु पर्याप्त संख्या में रेन गन की स्थापना की जावे, जिससे फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी (वेट टाईप) क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष हेतु जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में निम्नानुसार अतिरिक्त बिन्दु सम्मलित किया जावेः–

1. मुख्य प्लांट को सड़क मार्ग (खरसिया–छाल रोड) से कम से कम 100 मीटर की दूरी रखते हुये स्थापित किया जावे। तदानुसार फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया जावे।
2. खरसिया–छाल रोड साईड की तरफ कम से कम 06 मीटर ऊंची पक्की बाउण्ड्रीवॉल निर्मित करते हुये उसके ऊपर कम से कम 04 मीटर ऊंची स्क्रीन लगाया जावे। साथ ही जल छिडकाव हेतु पर्याप्त संख्या में रेन गन की स्थापना की जावे, जिससे फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।
3. परिसर के चारों ओर कम से कम 15 मीटर चौंड़ाई का हरित पट्टिका विकसित किया जावे।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्णय भी लिया गया कि जारी किये जाने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में प्रस्तावित वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के पौधों की सूची उपलब्ध कराने एवं वृक्षारोपण की कार्ययोजना को अतिरिक्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के रूप में शामिल किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जावे।

2. मेसर्स आनंद सिंघानिया (अविनाश केपिटल होम्स–II), ग्राम–सड्डू, तहसील व जिला–रायपुर (562)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनसीपी/ 62813/2017, यह आवेदन दिनांक 06/03/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 144/1, 145, 146/1 एवं अन्य, ग्राम–सड्डू, तहसील व जिला–रायपुर में रेसीडेंसियल प्रोजेक्ट हेतु भूमि का क्षेत्रफल 12.789 हेक्टेयर है। नेट प्लानिंग एरिया – 114170 वर्गमीटर है। छः मंजिला कॉम्प्लेक्स जिसमें भू–तल में 10132 वर्गमीटर, प्रथम तल से छठवें तल तक प्रत्येक तल 7398.85 वर्गमीटर अर्थात कुल बिल्टअप एरिया – 44393.10 वर्गमीटर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल बिल्टअप एरिया – 44393.10 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

निकटतम शहर रायपुर 7.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन 6.50 कि.मी. की दूरी पर है। एयरपोर्ट रायपुर 12.90 कि.मी. की दूरी में स्थित है।

10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

जल खपत एवं स्त्रोत – कंस्ट्रक्शन फेस हेतु 30 घनमीटर/दिन एवं ऑपरेशनल फेस हेतु कुल 798 घनमीटर/दिन (531 घनमीटर/दिन फ्रेश वाटर) जल उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल स्त्रोत से की जावेगी।

जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – परियोजना से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 745 घनमीटर/दिन होगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 750 घनमीटर /दिन होगी। उपचारित दूषित जल की मात्रा 617 घनमीटर/दिन होगी। उपचारित दूषित जल का उपयोग फ्लशिंग 267 घनमीटर/दिन, वाशिंग हेतु 150 घनमीटर / दिन, गार्डनिंग 200 घनमीटर/दिन में किया जावेगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – परियोजना से 2971.93 किलोग्राम/दिन ठोस अपशिष्ट जनित होगा, जिसे बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन–बायोडिग्रेडेबल के अनुसार संग्रहित किया जावेगा। 03 बिन्स की व्यवस्था करना प्रस्तावित है। पुनः उपयोग होने योग्य अपशिष्टों को विक्रय किया जावेगा तथा शेष अपशिष्टों को नगर पालिक निगम, रायपुर को अपवहन हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

विद्युत खपत – परियोजना में 5600 किलोवाट बिजली की खपत प्रस्तावित है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जावेगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1X150 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 222वीं बैठक दिनांक 22/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि :–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मंगाया जावे।
2. भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत किया जावे।
3. प्रस्तुत आवेदन के अनुसार छः मंजिला कॉम्प्लेक्स जिसमें भू–तल में 10132 वर्गमीटर प्रस्तावित है। भू–तल को पार्किंग के रूप उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम तल से छठवें तल तक प्रत्येक तल में बिल्टअप एरिया – 7398.85 वर्गमीटर अर्थात कुल बिल्टअप एरिया – 44393.10 वर्गमीटर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल बिल्टअप एरिया – 44393.10 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भू–तल से लेकर छठवें तल तक कुल बिल्टअप एरिया – 54525.1 वर्गमीटर होता है। स्थिति स्पष्ट किया जावे।
4. ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत किया जावे।
5. जल उपभोग की कुल मात्रा 798 घनमीटर / दिन बताई गई है, जिसमें 531 घनमीटर/दिन फ्रेश वाटर उपयोग करना प्रस्तावित है। साथ ही फ्लशिंग हेतु 267 घनमीटर/दिन एवं वाशिंग हेतु 150 घनमीटर / दिन उपचारित दूषित जल का उपयोग करना प्रस्तावित है। इस प्रकार जल उपभोग की कुल मात्रा 948 घनमीटर / दिन होती है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग की कुल मात्रा 798 घनमीटर / दिन बताई गई है। स्थिति स्पष्ट करें। 948

घनमीटर / दिन जल उपभोग होने की स्थिति में 90 प्रतिशत के अनुसार 853 घनमीटर / दिन दूषित जल उत्पन्न होगा। जबकि उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 745 घनमीटर / दिन बताई गई है। स्थिति स्पष्ट करें। वाटर बेलेंस चार्ट प्रस्तुत करें।

6. दूषित जल के उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुर्नउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जावे।
7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया जावे।
8. ठोस अपशिष्टों के उपचार हेतु आर्गेनिक वेस्ट कन्व्हर्टर का विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
9. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जावे।
10. ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
11. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय यह भी निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारियाँ / दस्तावेज तथा अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/04/2017 द्वारा आवेदन में बिल्टअप एरिया में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित बिल्टअप एरिया में परिवर्तन कर प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। समिति का मत था कि चुंकि पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदित कुल बिल्टअप एरिया में परिवर्तन हो रहा है। अतः नया ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के विचाराधीन प्रकरण में बिल्टअप एरिया में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र के आधार पर वर्तमान में आवेदन को अमान्य करते हुए प्रकरण को डि-लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

3. मेसर्स हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिसिऐशन (इण्डिया) लिमिटेड, बलौदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (790)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएमआईएन / 18666 / 2013, यह आवेदन दिनांक 27 / 02 / 2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में दिनांक 20 / 08 / 2013 को कोल वॉशरी क्षमता– 0.96 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् खसरा नम्बर 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1599, 1643, 1644, 1645, 1647, 1650, 1651, 1653 एवं अन्य कुल एरिया 14.60 एकड, बलौदा, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना में कुल विनियोग रुपये 14.60 करोड प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ के पत्र क्रमांक 1053 दिनांक 07 / 08 / 2014 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित श्रेणी 2(ए) कोल वॉशरी का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

लोक सुनवाई दिनांक 21 / 10 / 2016 प्रातः 11:00 बजे स्थान ग्राम–बलौदा के समीप कृषक सलाह केन्द्र, चारपारा के शासकीय मैदान, जिला–जांजगीर चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के पत्र दिनांक 20 / 12 / 2016 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करते हुये मूल दिनांक 15 / 03 / 2017 को प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ की 222वीं बैठक दिनांक 22 / 03 / 2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि निम्न जानकारियॉं / दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे:–

1. लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना।
2. फाईनल ले–आउट प्लान।
3. परियोजना स्थल की सीमा से नगर पंचायत बलौदा के निकटतम रहवासी क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी नगर पंचायत बलौदा से प्रमाणित जानकारी।
4. नगर पंचायत बलौदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
5. परियोजना स्थल की सीमा से लीलागर नदी एवं हसदेव नदी की दूरी संबंधी तहसीलदार से प्रमाणित जानकारी।

समिति द्वारा तत्समय यह निर्णय भी लिया गया था कि परियेाजना प्रस्तावक को 05 कि.मी. के परिधि में आने वाले ग्रामों, बस्ती, एतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, उद्योग, वन क्षेत्र, नदी / नाला आदि को दर्शाते हुये टोपोशीट में जानकारी, टी.ओ.आर. कम्प्लायंस स्टेटस, पर्यावरण प्रबंधन योजना, ई.आई.ए. रिपोर्ट, रॉ–कोल / वॉशकोल / रिजेक्ट के परिवहन की व्यवस्था तथा अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पवन अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री माहेश्वर रेड्डी तथा श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. स्थल का खसरा नम्बर 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1599, 1643, 1644, 1645, 1647, 1650, 1651, 1653 एवं अन्य कुल एरिया 14.60 एकड़, ग्राम व तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा में स्थित है। कुल एरिया 14.60 एकड़ निजी भूमि है। कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता– 0.96 मिलियन टन/वर्ष है। वेट कोल वॉशरी हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित स्थापित किया जायेगा।

2. समीपस्थ आबादी ग्राम–थारगाबोहरा 0.7 कि.मी. है। समीपस्थ लीलागर नदी 4.1 कि.मी. एवं हसदेव राइट बैंक केनाल 4.3 कि.मी. है। कोल वॉशरी स्थल से 10 कि.मी. की परिधि के भीतर मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राइजेस लिमिटेड (बलोदा), मेसर्स महावीर कोल बेनिफिशिएशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिंद एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिशिएशन (इंडिया) लिमिटेड (बिरगहनी) स्थित है।

3. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

4. नगर पंचायत बलौदा का दिनांक 25/07/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रस्तुत किया गया है।

5. तहसीलदार बलौदा के पत्र दिनांक 12/04/2017 द्वारा परियोजना स्थल की सीमा से लीलागर नदी लगभग 07 कि.मी. एवं हसदेव नदी लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

6. नगर पंचायत बलौदा के पत्र दिनांक 10/04/2017 द्वारा नगर पंचायत के मुख्य मार्ग हरदी बाजार चौक से लगभग 04 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. पूर्व में जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

8. फाईनल ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मुख्य प्लांट एरिया 3.70 एकड़, रॉ–कोल स्टोरेज यार्ड 2.0 एकड़, वॉश्ड कोल स्टोरेज यार्ड 1.0 एकड़, रिजेक्ट स्टोरेज 0.6, वॉटर स्टोरेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग 0.9 एकड़, आंतरिक मार्ग 1.20 एकड़, पार्किंग 0.2 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 5.0 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। इस प्रकार कोल वॉशरी कुल क्षेत्रफल 14.60 एकड़ में प्रस्तावित है।

9. **मटेरियल बैलेंस** – कच्चे कोयले की आपूर्ति एस.ई.सी.एल. की छाल, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा खदानों से किया जाना प्रस्तावित है। इनपुट के रूप में

रॉ–कोल 3200 टन/ दिन तथा आउटपुट के रूप में वॉश्ड कोल 2560 टन/दिन एवं रिजेक्ट कोल 640 टन/दिन होगा।

10. **रॉ–कोल / वॉश्ड कोल परिवहन** – रॉ–कोल का परिवहन एस.ई.सी.एल. की छाल, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा खदान से मुख्यतः सड़क मार्ग (उद्योग स्थल के निकट रेल्वे साइडिंग नहीं होने के कारण) द्वारा वॉशरी परिसंर में रॉ–कोल का परिवहन किया जावेगा। वॉश्ड कोल का परिवहन निकट स्थित उद्योगों तक सडक मार्ग द्वारा ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से तथा लम्बी दूरी में स्थित उद्योगों तक अकलतरा रेल्वे साईडिंग तक ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से एवं उसके पश्चात् रेलमार्ग द्वारा (उद्योगों से किये गये एम.ओ.यु के आधार पर) किया जायेगा। रिजेक्ट कोल का परिवहन सडक मार्ग द्वारा ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से किया जायेगा।

11. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 495 घनमीटर/दिन (प्रोसेस हेतु 490 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 5 कि.ली./दिन) जल खपत होना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भूमिगत जल के उपयोग हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

12. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था :–** उद्योग से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 4.0 घनमीटर /दिन होगी, इसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। प्रकिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर लगाया जावेगा। थिकनर से उत्पन्न दूषित जल को सेटलिंग पॉड में उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जावेगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

13. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल क्रशर में बेग फिल्टर स्थापित किया जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिडकाव व्यवस्था किया जावेगा। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा। कोल वॉशरी से उत्पन्न ध्वनि स्तर के नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था किया जावेगा तथा कर्मचारियों को ईयर प्लग भी उपलब्ध कराया जायेगा। कोल वाशरी में वेट प्रकिया अपनाये जाने से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण में प्रभावी रूप से नियंत्रण संभव हो सकेगा।

14. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.288 मिलियन टन/वर्ष है, जिसे मेसर्स स्वास्तिक पॉवर एंड मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, चांपा पॉवर प्लांट को विक्रय जावेगा। वॉशरी रिजेक्ट्स को रोड द्वारा ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया जावेगा। थिकनर से प्राप्त स्लज को डि–वॉटरिंग कर वॉशरी रिजेक्ट मे मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जावेगा।

15. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु कुल 1.25 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 250 के.व्ही.ए. क्षमता का एक डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

16. प्रस्तावित परियोजना के सडक मार्ग में वर्तमान में 521 पेरोंजर कार यूनिट / घंटा (पीसीयू/घंटा) परिवहन होता है। रॉ–कोल को वॉशरी परिसर में लाने तथा वॉश्ड कोल एवं रिजेक्ट कोल को वॉशरी परिसर से ले जाने हेतु 20 टन क्षमता के 320 वाहनों की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। फलस्वरूप परियोजना से

अतिरिक्त परिवहन भार में वृद्धि लगभग 92 पीसीयू/घंटा होना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 613 पीसीयू/घंटा का परिवहन होना प्रस्तावित है। वर्तमान में साडक की क्षमता 1500 पीसीयू/घंटा के परिवहन हेतु उपयुक्त है, जिसारो साडक मार्ग पर कोल परिवहन से प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।

17. कुल वृक्षारोपण एरिया 05 एकड़ में प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 15 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका विकसित करना प्रस्तावित है।

18. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जावेगा। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉड (रकबा 3642 वर्गमीटर) क्षमता 27555 घनमीटर/वर्ष की स्थाप्ना प्रस्तावित है। सी.एस.आर. के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाना प्रस्तावित है।

19. मॉनिटरिंग का कार्य दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 तक किया गया। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन 08 स्थलों पर, सतही जल गुणवत्ता मापन 02 स्थलों पर, भू जल गुणवत्ता मापन 08 स्थलों पर, ध्वनि स्तर मापन 08 स्थलों पर, मृदा गुणवत्ता मापन 08 स्थलों पर किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम10 – 25.6 से 59.1 माईक्रोग्राम /घनमीटर, पीएम2.5 – 15.3 से 35.2 माईक्रोग्राम /घनमीटर, एस.ओ.$_2$ – 9.1 से 19.6 माईक्रोग्राम /घनमीटर एवं एन.ओ.एक्स – 9.3 से 26.7 माईक्रोग्राम /घनमीटर है। ध्वनि स्तर – 46 डीबीए से 57.9 डीबीए है।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. कोल वॉशरी स्थापना से हसदेव नदी एवं लीलागर नदी के प्रदूषित होने, पालतू एवं जंगली–जानवर समस्त जीव–जंतुओं पर बुरा प्रभाव पडेगा तथा इस प्रदूषण को कैसे रोका जायेगा।
2. परियोजना के कारण प्रस्तावित स्थल के समीपस्थ बंधवा तालाब क्षेत्रफल 52–55 एकड प्रदूषित हो रहा है, जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। ईकाई के बाहर बांध है, जिससे लगे वन क्षेत्र में जानवर है एवं शेष क्षेत्र सिंचाई का है। किसान गंभीर परिस्थिति में है तथा बडी आपूर्णीय क्षति का सामाना कर रहे है। प्रदूषण के कारण हरी फसल काली हो जाती है। इस प्रदूषण को कैसे रोका जायेगा।
3. परियोजना पास के गांव से केवल 02 कि.मी. की दूरी पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे आसपास की आबादी एवं लोग बुरी तरह प्रभावित होगें तथा गंभीर स्वास्थ्य संबंधी शिकायते होगी। कोल वॉशरी से उत्सर्जित धूल एवं कोयला परिवहन करने वाले वाहनों के द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है।
4. उद्योग की स्थापना के पश्चात् कोल वॉशरी संयंत्र के आसपास निवासरत ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया जावे।
5. कोल वॉशरी में बोर की संख्या भी एवं अधिक गहरा होने के कारण बलौदा क्षेत्र का जल स्तर नीचे होने से किसानों के नलकूप में जल की कमी होती जा रही है।

6. नगर पंचायत बलौदा के सड़कों पर सुबह–शाम जल का छिड़काव करने एवं खेत के फसलों को नुकसान होने पर उसके मुआवजा देने की मांग है तथा नगर पंचायत बलौदा में प्रतिवर्ष कम से कम 05 लाख रूपये का कार्य करवाया जावे।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों की वस्तुस्थिति एवं उद्योग प्रबंधन के कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. प्रस्तावित संयंत्र में क्लोज्ड लूप सर्किट सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रकिया से उत्सर्जित दूषित जल को उपचार उपरांत वाशिंग सर्किट में पूर्णतः पुर्नउपयोग किया जावेगा। घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट का निर्माण किया जावेगा। परियोजना में शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी, अतः दूषित जल के कारण कोई समस्या नहीं होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लीलागर नदी लगभग 07 कि.मी. एवं हसदेव नदी लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित होने तथा किसी भी प्रकार का दूषित जल उद्योग परिसर के बाहर निस्सारित नहीं किये जाने से नदी/ नाले/ तालाबों की जल गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना नहीं है। यह भी बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल क्रशिंग क्षेत्र में बेग फिल्टर लगाए जाने, सड़कों पर जल छिड़काव करने, आटोमाइजर से जल छिड़काव कर डस्ट सप्रेशन करने, कन्वेयर बेल्टों को ढंकने, ढंके वाहनों से परिवहन करने, सघन वृक्षारोपण करने आदि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें अपनाए जाने से पालतू /जंगली जानवरों, जीव–जंतुओं आदि पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
2. परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम हेतु सभी उपाय किये जायेंगे एवं प्रस्तावित परिसर में लगभग 05 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है, जिससे प्रदूषण में कमी आयेगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि दूषित जल को उपचार उपरांत वाशिंग सर्किट में पूर्णतः पुर्नउपयोग करने के फलस्वरुप उद्योग परिसर के बाहर निस्सारित नहीं किये जाने तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित परियोजना के कारण कृषि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने, प्रदूषण के कारण फसल काली होने, आस पास के तालाबों से सिंचाई प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना में उपरोक्तानुसार जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु सभी उपाय किया जाना प्रस्तावित है, जिससे आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की संभावना नहीं है। कर्मचारियों का नियमित रुप से उपचार कराया जावेगा। ग्रामीणों हेतु नियमित रुप से मेडिकल कैंप लगाया जावेगा एवं उपचार की व्यवस्था भी की जावेगी।
4. कोल वॉशरी स्थापना के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दी जावेगी। अधिकतम रोजगार आसपास के स्थानीय ग्रामीणों को दिया जावेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी बताया गया

कि निर्माण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार दिया जावेगा।

5. केंद्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल आहरण हेतु अनुमति लिया जावेगा। वर्षा जल के संरक्षण हेतु रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जावेगा, जिससे भू–जल स्तर में वृद्धि होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी से भू–जल आहरण हेतु अनुमति लिए बिना भू–जल का उपयोग नहीं किया जावेगा।
6. निगमित सामाजिक दायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) का निर्वहन केंद्रीय/ राजकीय नियमानुसार किया जावेगा। वर्तमान में लाभांश का 02 प्रतिशत आरक्षित किया गया है, जिसे 10 वर्षों में व्यय किया जावेगा। सभी सुझाये गये कियाकलापों का व्यय इस राशि से किया जावेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नम्बर 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1599, 1643, 1644, 1645, 1647, 1650, 1651, 1653 एवं अन्य कुल एरिया 14.60 एकड, बलौदा, तहसील–बलौदा जिला–जांजगीर–चांपा, वेट टाईप कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नम्बर 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1599, 1643, 1644, 1645, 1647, 1650, 1651, 1653 एवं अन्य कुल एरिया 14.60 एकड़, बलौदा, तहसील–बलौदा जिला–जांजगीर–चांपा, वेट टाईप कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.96 मिलियन टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

4. मेसर्स एपीआई इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, फेज–II के समीप, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (570)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 18901/2017, यह आवेदन दिनांक 20/03/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् खसरा नं. 384/1, 384/2 एवं अन्य, ग्राम–सिलतरा, फेज–II के समीप, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल–96.57 एकड़ में इंडक्शन फर्नेस क्षमता–86,400 टन/वर्ष से 3,00,000 टन/वर्ष तथा रोलिंग मिल क्षमता–1,45,250 टन/वर्ष से 3,00,000 टन/वर्ष (क्षमता विस्तार उपरांत) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनियोग रुपये 45 करोड़ प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 222वीं बैठक दिनांक 22/03/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
3. छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा स्थापित क्षमता हेतु दी गई जल एवं वायु सम्मति की सम्मति शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
4. भूमिं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे।
5. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण गंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे।
6. वर्तमान में स्थापित तथा क्षमता विस्तार के अंतर्गत प्रस्तावित इकाईयों में ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले कोल की मात्रा, प्रोड्युसर गैस प्लांट की क्षमता (यदि प्रस्तावित हो), स्थापित एवं प्रस्तावित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण, ठोस अपशिष्ट यथा सिंडर / ऐश की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था तथा चिमनी ऊंचाई की उपयुक्तता संबंधी गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
7. उत्पन्न दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार, उपचारित दूषित जल के उपयोग एवं निस्सारण व्यवस्था का विवरण, जल आपूर्ति, जल खपत एवं विद्युत खपत संबंधी जानकारी एवं ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट का विकास करने हेतु रिपोर्ट तैयार कर नक्शे में दर्शाते हुये विस्तृत प्रस्ताव आदि सहित जानकारी प्ररतुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 223वीं बैठक दिनांक 20/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री शिव अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री माहेश्वर रेड्डी तथा श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. उद्योग परिसर में पूर्व से स्पंज ऑयरन प्लांट 2,10,000 टन/वर्ष (2 गुणा 350 टीपीडी), एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट 07 मेगावॉट, डब्ल्यु.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट 18 मेगावॉट, इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 12 टन) 86,400 टन/वर्ष एवं रोलिंग मिल (1 गुणा 484 टन/ प्रतिदिन) 1,45,250 टन/वर्ष क्षमता का स्थापित है। इस हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त की गई है। उल्लेखनीय है कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ के पत्र दिनांक 10/12/2009 के द्वारा ऑयल फायर्ड रोलिंग मिल 1,45,250

टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था। क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस (2 गुणा 12 टन) क्षमता–86,400 टन/वर्ष से अतिरिक्त इंडक्शन फर्नेस (5 गुणा 15 टन + 1 गुणा 14 टन) कुल क्षमता 3,00,000 टन/वर्ष एवं रोलिंग मिल (1 गुणा 484 टन/ प्रतिदिन) क्षमता–1,45,250 टन/वर्ष में आधुनिकीकरण कर क्षमता विस्तार (1 गुणा 700 टन/ प्रतिदिन) 2,10,000 टन/वर्ष एवं 90,000 टन/ वर्ष की नयी रोलिंग मिल (1 गुणा 300 टन/ प्रतिदिन) कुल 3,00,000 टन/वर्ष की स्थापना प्रस्तावित है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति में निहित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

4. समीपस्थ आबादी ग्राम सोंड्रा 0.8 कि.मी. एवं रायपुर शहर 10.5 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 23.9 कि.मी., रेल्वे स्टेशन मांढर 7.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.4 कि.मी. है। समीपस्थ सरफेस वॉटर बॉडी छोकरा नाला 0.9 कि.मी., खारुन नदी 1.8 कि.मी. एवं कुल्हन नाला 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

5. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – स्पंज आयरन प्लांट 4.2 एकड़, पावर प्लांट 2.0 एकड़, एसएमएस विथ सीसीएम 3.0 एकड, रोलिंग मिल 1.0 एकड़, रॉ–मटेरियल यार्ड 5. 0 एकड़, आंतरिक रोड 7.0 एकड, ग्रीन बेल्ट एरिया 32.50 एकड़ (कुल एरिया का 33 प्रतिशत), ओपन एरिया 39.87 एकड एवं अन्य उपयोगिता 2.0 एकड़ है। इस प्रकार कुल भूमि 96.57 एकड़ है।

7. क्षमता विस्तार के अंतर्गत रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये कोल गैसीफॉयर प्लांट क्षमता – 5000 सामान्य घनगीटर / घण्टा एवं 10,000 सामान्य घनमीटर / घण्टा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। गैसीफॉयर में 62,250 टन/वर्ष कोयले का उपयोग किया जावेगा। कोयले की आपूर्ति एस.ई.सी.एल/ऑस्ट्रेलिया/साऊथ अफ्रीका/इंडोनेशिया से की जायेगी।

8. **रॉ–मटेरियल** – इण्डक्शन फर्नेस में रॉ–मटेरियल के रूप में स्पंज आयरन – 1,76,435 टन/वर्ष, स्क्रेप – 75,620 टन/ वर्ष एवं फेरो एलायज – 3,200 टन/ वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रोलिंग मिल में रॉ मटेरियल के रूप में स्टील बिलेट्स/इंगाट्स – 3,21,000 टन/वर्ष, कोल फॉर गैसीफॉयर – 62,250 टन/ वर्ष का उपयोग किया जावेगा। रॉ–मटेरियल का परिवहन सड़क के माध्यम से ढंके हुए ट्रकों द्वारा किया जावेगा।

9. **जल खपत एवं स्त्रोत** – क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु 250 कि.ली./ दिन जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किया जावेगा।

10. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 10 कि.ली./ दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट बनाई जावेगी। कूलिंग

उपरांत प्राप्त दूषित जल को पुर्नउपयोग किया जावेगा। औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

11. **ठोस अपशिष्ट अपवहन** – वर्तमान में रोलिंग मिल से मिल स्केल – 10 टन / दिन एवं इण्ड कटिंग – 20 टन / दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 30 टन / दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता। क्षमता विस्तार से मिल स्केल – 18 टन / दिन, स्लेग – 72 टन / दिन, एण्ड कटिंग – 42 टन / दिन एवं सिण्डर – 76 टन / दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत कुल मिल स्केल – 28 टन /दिन, स्लेग – 102 टन / दिन, इण्ड कटिंग – 62 टन / दिन एवं सिण्डर – 76 टन / दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को फेरो एलायज निर्माण ईकाईयों को बेचा जायेगा। स्लेग को स्लेग क्रशिंग युनिट्स को दिया जावेगा। इण्ड कटिंग को पुनः इंडक्शन फर्नेस में उपयोग में लाया जायेगा। सिण्डर को ईट निर्माण ईकाईयों को बेचा जायेगा।

12. **वायु प्रदुषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस में फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी लगाया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाता है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। स्थापित रोलिंग मिल री–हीटिंग फर्नेस से संलग्न चिमनी की ऊँचाई 50 मीटर है। क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित रोलिंग मिल में भी 50 मीटर ऊँची चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु वर्तमान में स्क्रबर स्थापित है। क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये कोल गैसीफॉयर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रोड्युसर गैस का उपयोग ईधन के रूप में करने के कारण वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु किसी अन्य उपकरण स्थापित करना प्रस्तावित नहीं है। दहन पश्चात् फ्लु गैसेस को 50 मीटर ऊंची दो चिमनियों से वायु मंडल में उत्सर्जित करना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जावे।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।
3. प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया जावे।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि जारी किये जाने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में प्रस्तावित वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के पौधों की सूची उपलब्ध कराने एवं वृक्षारोपण की कार्ययोजना को अतिरिक्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के रूप में शामिल किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार सूचित करते हुय टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) ज़ारी किया जावे। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर पत्र लिखा जावे।

5. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड (लखारास टिन ओर माईन), ग्राम–लखारास, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (572)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 63457/2017, यह आवेदन दिनांक 25/03/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर माईन है। खदान खसरा नं. 115/1, ग्राम–लखारास, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्र 21.084 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4.971 टन (4971 कि.ग्रा.)/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है:–

1. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर के पत्र कमांक डीएनटी/सीएएसएस/एमपीएलएन–870/नागपुर दिनांक 03/12/2004 द्वारा अनुमोदित "माईनिंग प्लान ऑफ लखारास कैसीटेराइट डिपोसिट" प्रस्तुत किया गया है।
2. ग्राम पंचायत लखारास का दिनांक 07/06/2006 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. खनि निरीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा खनि अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 25/01/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–लखारास 0.5 कि.मी., कटेकल्याण 2.5 कि.मी. एवं शहर दंतेवाड़ा 38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मिडिल स्कूल ग्राम–लखारास में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. है। डुमुम नदी 3.0 कि. मी. की दूरी पर स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. लीज डीड मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर है, जो दिनांक 20/01/2006 से 19/01/2026 तक की अवधि हेतु है। पूर्व में मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड के नाम पर ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट दिनांक 13/12/1996 को मेसर्स मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स प्रकाश एण्ड कंपनी के मध्य हुआ था। तत्पश्चात् सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दिनांक 05/04/2007 को मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड के मध्य किया गया है।

4. कुल जिओलॉजिकल रिजर्व 228690 किलोग्राम, प्रुव्हड जिओलॉजिकल रिजर्व 152460 किलोग्राम एवं माईनेबल रिजर्व 153887 किलोग्राम है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा जाएगा। उपरी मिट्टी की मात्रा 22500 घनमीटर होगी, जिसका उपयोग रिक्लेमेशन हेतु किया जाएगा। आगामी 05 वर्षों में उत्पन्न होने वाली संभावित अपशिष्ठ की मात्रा 80980 टन है। खदान की अधिकतम गहराई 2.5 से 3.0 मीटर तक होगी। टिन ओर बियरिंग ग्रेवल को निकालने हेतु ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जावेगा। श्रमिकों से उत्खनन कार्य कराया जावेगा। अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन ओपन कास्ट सेमी–मेकेनाइज्ड विधि से किया जायेगा। विभिन्न खनन प्रक्रियाओं हेतु 05 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होगी। उत्खनन से प्राप्त ग्रेवल के वाशिंग हेतु पौण्ड एरिया 1.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है, जिसमें श्रमिकों के माध्यम से पेनिंग विधि से (पानी का उपयोग कर छनाई) टिन ओर प्राप्त किया जावेगा। खदान परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया जावेगा। खदान परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जावेगा। खदान परिसर के भीतर क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग मशीन की स्थापना नहीं की जावेगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जावेगा। खदान के चारों तरफ 7.5 मीटर चौंड़ी पट्टि में वृक्षारोपण किया जावेगा। आवेदन अनुसार वर्षवार उत्खनन योजना का विवरण निम्नानुसार है:–

उत्खनन की योजना

वर्ष	टिन ओर (कि.ग्रा.)	स्वाईल (घनमीटर)	ग्रेवल (टन)
प्रथम वर्ष	3207	3600	12957
द्वितीय वर्ष	3688	4140	14900
तृतीय वर्ष	3688	4140	14900
चतुर्थ वर्ष	4490	5040	18140
पंचम वर्ष	4971	5580	20083
कुल	**20044**	**22500**	**80980**

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – कोई नहीं। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री विमल

लुनिया, डॉयरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :–

1. खनि निरीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा खनि अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 25/01/2017 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। अतः क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत लखारास का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. यह एक मुख्य खनिज उत्खनन परियोजना है, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित है। उत्खनन ओपन कास्ट सेमी–मेकेनाइज्ड विधि से करने, ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं करने, क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग मशीन की स्थापना नहीं करने, खदान परिसर में स्थित पॉण्ड में श्रमिकों के माध्यम से पेनिंग विधि से (पानी का उपयोग कर छनाई) टिन ओर प्राप्त करने, खदान परिसर के बाहर दूषित जल का निस्सारण नहीं करने, खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने आदि के दृष्टिगत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति का यह मत था कि विचाराधीन उत्खनन परियोजना से पर्यावरण पर विशेष प्रभाव (सिग्निफिकेन्ट इम्पेक्ट) पड़ना संभावित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से विचाराधीन परियोजना को बी–2 श्रेणी का मानते हुये खसरा नं. 115/1, ग्राम–लखारास, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्र 21.084 हेक्टेयर में टिन खनिज उत्खनन क्षमता–4.971 टन (4971 कि.ग्रा.)/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 115/1, ग्राम–लखारास, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा, कुल लीज क्षेत्र 21.084 हेक्टेयर में टिन खनिज उत्खनन क्षमता–4.971 टन (4971 कि.ग्रा.)/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

6. मेसर्स हेमंत कुमार साहू (नंदनी–खुंदनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (526)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 60450/2016, यह आवेदन दिनांक 16/11/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत कुमार साहू के द्वारा दिनांक 28/11/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान खसरा नं. 1898 (पार्ट), 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 (पार्ट), 1905 एवं 1906 (पार्ट), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 25,000 टन/वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मॉडिफिकेशन इन एप्रुव्हड माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक दुर्ग/ चूप/ खपो/ 646/नाग/ 2015/9–रायपुर दिनांक 22/07/2016 (अवधि 2016–17 से 2018–19 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है। पूर्व में माईनिंग प्लान क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के पत्र कमांक डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएनएल–646/ नागपुर, दिनांक 12/08/1998 द्वारा अनुमोदित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं :–

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–नंदनी–खुंदनी 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई पॉवर हॉउस लगभग 20.3 कि.मी. एवं निकटतम शहर दुर्ग लगभग 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 28 कि.मी. दूर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अथवा होने संबंधी जानकारी नहीं दी गई है।
3. लीज डीड श्री हेमंत कुमार साहू के नाम पर है, जो 50 वर्षों अर्थात् 07/05/1999 से 06/05/2049 तक की अवधि हेतु है।
4. कुल रिजर्व 372150 टन, ब्लॉक आउट रिर्सोसेस 2,34,050 टन एवं माईनेबल रिजर्व 138100 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमरड्रिल का उपयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 3.0 मीटर है। उत्खनन की कुल गहराई 26 मीटर होगी। वर्तमान में एक स्थान पर 23 मीटर की गहराई तक खुदाई हुई है। जल उपभोग की मात्रा 05 कि.ली./दिन (ड्रिलिंग एवं डस्ट सप्रेशन 03 कि.ली./दिन, प्लांटेशन 01 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 01 कि.ली./दिन) है। जल का स्त्रोत वाटर टैंकर एवं बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता

है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :–

आगामी वर्षों के लिए उत्खनन की योजना

वर्ष	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन क्षमता (टन)	उत्पादन क्षमता (टन)
2016–2017	1800	4500	20250
	6300	15750	
2017–2018	1800	4500	21000
	6600	16500	
2018–2019	4800	12000	24750
	5100	12750	
कुल	26400	66000	66000

5. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 208वीं बैठक दिनांक 06/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
3. 05 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अथवा होने, की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज, समीपस्थ ग्राम–नंदनी–खुंदनी से उद्योग स्थल की सीमा से वास्तविक दूरी, 05 कि.मी. के परिधि में आने वाले ग्रामों, बस्ती, एतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, उद्योग, वन क्षेत्र, नदी / नाला आदि को दर्शाते हुये टोपोशीट में जानकारी, जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्थाओं की जानकारी, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था, माईन वाटर के पुर्नउपयोग की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रबंधन योजना, संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना (क्लस्टर निर्मित होने पर) एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/01/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 213वीं बैठक दिनांक 10/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना

प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र दिनांक 02/02/2017 को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 16/02/2017 के द्वारा सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने बाबत् पुनः अनुरोध पत्र दिनांक 20/02/2017 को प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 217वीं बैठक दिनांक 21/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। परियोजना प्रस्तावक समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि देने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री हेमंत कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में मूल लीज मेसर्स स्वास्तिक ट्रांसपोर्ट, पार्टनर श्री राजेश धोड़ी के नाम पर दिनांक 07/05/1999 से 20 वर्ष हेतु अर्थात् 06/05/2019 तक था। लीज का हस्तांतरण दिनांक 21/12/2006 को श्री हेमंत कुमार साहू के नाम पर किया गया। लीज का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट दिनांक 20/01/2015 को किया गया है।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में 2009 से 2012 तक उत्खनन कार्य किया गया है। उसके बाद उत्खनन कार्य बंद कर दिया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में प्रस्तुत रिटर्न की प्रति प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित चूना पत्थर खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य 10 चूना पत्थर खदानें कुल रकबा 68.26 हेक्टेयर स्वीकृत/संचालित है। आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम–नंदनी–खुंदनी) रकबा 1.45 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम–नंदनी–खुंदनी) को मिलाकर कुल 69.71 हेक्टेयर है। समिति के ध्यान में यह तथ्य आया कि नंदनी – खुंदनी, पथरिया, सहगांव, मेडेसरा आदि ग्रामों में 60 से भी अधिक खदानें स्वीकृत/संचालित हैं और यह सभी खदानें (होमोजीनियस) क्लस्टर निर्मित कर रही है। इन क्षेत्रों में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण इस क्षेत्र के खनिज उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् विचाराधीन सभी प्रकरण क्लस्टर निर्मित होने के कारण 'बी–1' श्रेणी के अंतर्गत माने जावेंगे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित खदान को भी खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की माना गया।

4. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं होना बताया गया है।

5. ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्ररतुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता – 25,000 टन/वर्ष, खसरा नं. 1898 (पार्ट), 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 (पार्ट), 1905 एवं 1906 (पार्ट), ग्राम–नंदनी–खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 1.45 हेक्टेयर हेतु बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी करने की अनुशंसा की गई। साथ ही कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जावे।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने एवं कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को सूचित करने का निर्णय लिया गया निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जारी किये जाने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में प्रस्तावित वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों के पौधों की सूची उपलब्ध कराने एवं वृक्षारोपण की कार्ययोजना को अतिरिक्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के रूप में शामिल किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) जारी किया जावे।

7. सरपंच, ग्राम पंचायत सिल्ली, ग्राम–सिल्ली, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (201)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर– एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33870/2015, यह आवेदन दिनांक 05/12/2015 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 7125/ख.नि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 15/12/2015 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 281, ग्राम–सिल्ली, ग्राम पंचायत सिल्ली, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 11.40 हेक्टेयर में है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर (85,000 टन)/ वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत सिल्ली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 02 रेत खदानें, दानीकोकड़ी रकबा 7.0 हेक्टेयर एवं परसदा रकबा 6.0 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–सिल्ली) रकबा 11.40 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–सिल्ली) को शामिल करते हुए 24.40 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उप संचालक, (खनि. प्रशा), संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग, नया रायपुर द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–सगनी 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–सगनी 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–नकट्ठी 3.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 3.2 कि.मी. की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर

4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 3.0 मीटर

5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की अधिकतम चौड़ाई – 147 मीटर

6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 210 मीटर

7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 3,13,500 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए. सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 25/01/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए. सी, छत्तीसगढ़ की 181वीं बैठक दिनांक 30/01/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री तुलाराम सेन, सचिव, ग्राम पंचायत सिल्ली उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 281, रकबा–11.40 हेक्टेयर, क्षमता– 50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 286 दिनांक 03/05/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 455 दिनांक 12/05/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों की पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 02 रेत खदानें, दानीकोकड़ी रकबा 7.0 हेक्टेयर एवं परसदा रकबा 6.0 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–सिल्ली)

रकबा 11.40 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–सिल्ली) को शामिल करते हुए 24.40 हेक्टेयर है।

4. पूर्व में 1000 पौधे लगाये गये थे।

5. पूर्व में खनि अधिकारी जिला–दुर्ग द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26/02/2014 में रेत खदान ग्राम–दानीकोकडी की सीमा से 1000 मीटर के भीतर सिल्ली रकबा 11.40 हेक्टेयर एवं करेली रकबा 4.32 हेक्टेयर बताया गया था, जबकि वर्तमान में खनि अधिकारी जिला–दुर्ग के पत्र दिनांक 09/11/2015 एवं 01/01/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित रेत खदान ग्राम–दानीकोकड़ी की सीमा से 1000 मीटर के भीतर परसदा रकबा 6.0 हेक्टेयर एवं सिल्ली रकबा 11.40 हेक्टेयर बताया गया है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि पूर्व में खनि अधिकारी जिला–दुर्ग द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 101 दिनांक 29/04/2014 में रेत खदान ग्राम–सिल्ली की सीमा से 1000 मीटर के भीतर सगनी रकबा 6.0 हेक्टेयर बताया गया था, जबकि वर्तमान में खनि अधिकारी जिला–दुर्ग के पत्र क्रमांक 1575 दिनांक 07/11/2015 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित रेत खदान ग्राम–सिल्ली की सीमा से 1000 मीटर के भीतर दानीकोकडी रकबा 7.0 हेक्टेयर एवं परसदा रकबा 6.0 हेक्टेयर बताया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया है कि इस जिले से जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्रों में रेत खदानों के लीज क्षेत्र एवं संख्या में बार–बार बदलाव कर नया प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। फलस्वरूप निर्णय लेने में कठिनाई होती है तथा प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब भी होता है। यह स्थिति चिंताजनक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक उपस्थित नहीं हुए इस बाबत् सही स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त प्रमाण पत्रों के संबंध में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित कर वस्तुस्थिति की जांच उपरांत सही प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु लिखा जावे। साथ ही इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर, जिला–दुर्ग को भी दी जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/04/2016, 18/07/2016 एव 07/09/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज आज दिनांक तक अप्राप्त है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 204वीं बैठक दिनांक 15/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि इस प्रकरण में पूर्व में समिति द्वारा विचार कर जानकारियाँ / दस्तावेज मंगाए गए थे। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में कई पत्र भी लिखे गये हैं। ये प्रकरण काफी दिनों से लंबित है। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु बुलाया जावे। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि पूर्ण जानकारी / दस्तावेज के अभाव में सुनवाई / प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं होगा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन को अमान्य कर डी–लिस्ट कर दिया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक को सुनवाई हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/12/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 209वीं बैठक दिनांक 07/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। सुनवाई हेतु श्री गणेश राम, सरपंच, ग्राम पंचायत सिल्ली उपस्थित थे। सुनवाई के दौरान खनि निरीक्षक / खनि अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:-

1. पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। सुनवाई हेतु उपस्थित सरपंच द्वारा वांछित जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने बाबत् आश्वासन दिया गया।

2. 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। यदि 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्थित हों तो भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित होने पर सभी खदानों हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त जानकारियाँ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1289 दिनांक 19/01/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/04/2017 द्वारा 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाणित जानकारी सहित संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के पत्र क्रमांक 3039 दिनांक 22/03/2017 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 02 रेत खदानें दानीकोकड़ी रकबा 7.0 हेक्टेयर, 87 मीटर की दूरी पर एवं परसदा रकबा 6.0 हेक्टेयर, 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम-सिल्ली) रकबा 11.40 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम-सिल्ली) को मिलाकर कुल 24.40 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

3. ग्राम पंचायत सिल्ली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुगति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया

है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

5. प्रस्तुत संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसारः–

- रेत खदानों में कार्यरत होने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 129 होगी।
- रेत खदान के आसपास ग्राम के निवासियों को रेत खनन कार्य से रोजगार प्रदान करते हुए प्राप्त राशि से पंचायत द्वारा आसपास के क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के कार्य किये जावेंगे।
- नदी/नाला के तटों पर एवं पहुंच मार्गों पर 300 वृक्ष/वर्ष लगाया जावेगा।
- रेत ढोने वाले मालवाहकों से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु मार्ग में जल छिड़काव किया जावेगा। रेत को तालपत्री/तारपोलिन से ढंककर परिवहन किया जावेगा।
- नैसर्गिक जल प्रवाह तंत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। नदी में खनन क्षेत्र या उसके पास से होकर यदि कोई जल प्रवाह तंत्र बनता है तो प्रवाह तंत्र के दोनों छोर पर 10 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुए रेत का खनन सुनिश्चित किया जावेगा। नदी तट से 10 मीटर की दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित किया जावेगा। नदी/नाला, तालाब आदि में दूषित जल की निकासी नहीं होगी। स्वच्छता के सभी उपाय किये जावेंगे।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकडे प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 281, ग्राम–सिल्ली, ग्राम पंचायत सिल्ली, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 11.40 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 281, ग्राम–सिल्ली, ग्राम पंचायत सिल्ली, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 11.40 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावेः–

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

8. सरपंच, ग्राम पंचायत कुम्हारी (रेत खदान कुम्हारी–डी), ग्राम– कुम्हारी, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर (490)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58729 / 2016, यह आवेदन दिनांक 31 / 08 / 2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। उपसंचालक, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1881 / ख.लि. / तीन–6 / रेत खदान / 2016 रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान पार्ट ऑफ खसरा नं. 1882, ग्राम– कुम्हारी, ग्राम पंचायत कुम्हारी, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,70,000 टन / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत कुम्हारी दिनांक 02 / 06 / 2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1795 / ख.लि. / रे.ख. / 2016 रायपुर दिनांक 22 / 08 / 2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 03 खदानें ग्राम–कुम्हारी (सी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 35 मीटर की दूरी पर, ग्राम–कुम्हारी (बी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 210 मीटर की दूरी पर, ग्राम–कुम्हारी (ए), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 380 मीटर की दूरी पर है। साथ ही ग्राम–टीला, खसरा नं. 1891, रकबा 6.0 हेक्टेयर रेत खदान 1074 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–कुम्हारी–डी) का रकबा 6.0 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–कुम्हारी) को मिलाकर कलस्टर का कुल रकबा 18 हेक्टेयर होता है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री महिपाल सिंह कवर, उपसंचालक, (खनि. प्रशा) जिला रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम– हथखोज 1.3 किलोमीटर है। स्कूल ग्राम– हथखोज 1.3 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम– हथखोज 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1.03 किलोमीटर की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 6.0 मीटर

4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3.0 मीटर

5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 405 मीटर एवं न्यूनतम 146 मीटर

6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1580 मीटर एवं न्यूनतम 1376 मीटर

7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,80,000 घनमीटर

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री जनकराम साहू, संरपच, ग्राम पंचायत कुम्हारी एवं श्री रोहित साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर की परिधि में 03 खदानें ग्राम–कुम्हारी (सी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 35 मीटर की दूरी, ग्राम–कुम्हारी (बी), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 210 मीटर की दूरी एवं ग्राम–कुम्हारी (ए), खसरा नं. 1882, रकबा 4.0 हेक्टेयर, 380 मीटर की दूरी है। ग्राम–कुम्हारी (ए) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में ग्राम–कुम्हारी (डी) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम–कुम्हारी (बी) एवं ग्राम–कुम्हारी (सी) के लिए डी.ई.आई.ए.ए., रायपुर में आवेदन किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रकार 500 मीटर में एक से अधिक खदानें है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। अतः उपरोक्त खदान हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जाना अनिवार्य है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान दिनांक 04/10/2016 को प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 207वीं बैठक दिनांक 20/10/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. इस रेत खदान हेतु क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 18 हेक्टेयर है, जबकि कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान में क्लस्टर का क्षेत्रफल 6.0 हेक्टेयर दर्शाया गया है।

2. रेत खदानों में कार्यरत होने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या केवल 11 बतायी गई है, जबकि इस क्लस्टर में शामिल सभी खदानों में कर्मचारियों/श्रमिकों की जानकारी दी जानी चाहिए। प्रतिवर्ष उत्खनित रेत की मात्रा क्लस्टर में शामिल सभी खदानों हेतु दी जानी चाहिए। क्लस्टर में शामिल सभी खदानों का फोटोग्राफ्स दिया जाना चाहिए। एक्सकेवेटर से उत्खनन बताया गया है। 1.0 मीटर से अधिक गहराई से उत्खनन नहीं किया जाना है। उत्खनन हेतु एक्सकेवेटर की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है, क्योंकि क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में श्रमिकों की उपलब्धता है एवं रोजगार के दृष्टिकोण से मेनुअल माईनिंग किया जाना चाहिए।

3. वृक्षारोपण की योजना अस्पष्ट है। प्रतिवर्ष 100 पौधे बताया गया है। यह योजना पूरे क्लस्टर हेतु बनाया जाना चाहिए। साथ ही वृक्षारोपण 200 नग पौधे प्रति हेक्टेयर माईनिंग क्षेत्र के मापदण्ड के आधार पर किया जाना चाहिए तथा रोपण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर एवं पहुंच मार्ग में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण की प्रजातियां (अधिक पानी में जीवित रहने वाली जैसे– अर्जुन/कहवा, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों) को प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्तावित की जानी चाहिए। रोपण का कार्य सभी खदान क्षेत्रों/पहुंच मार्गों में प्रस्तावित की जानी चाहिए। नदी में रेत का स्तर बनाए रखने के लिए किये जाने वाले उपाय एवं रेत के प्राकृतिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रकिया एवं विवरण दिया जावे।

4. क्लस्टर में शामिल खदानों के नदी तट/ पहुंच मार्गों पर वृक्षारोपण स्थल को नक्शे में दर्शाकर क्षेत्रफल/ संख्या का विवरण दिया जावे।

5. श्रामिकों के लिए पेय जल/ टायलेट आदि व्यवस्था का उल्लेख किया जावे।

6. नदी के किनारों के कटाव की रोकथाम/ संरक्षण हेतु प्रस्तावित उपाय की जानकारी दी जावे।

7. खदान के नोटिफिकेशन का विवरण दिया जावे।

8. क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोनमेंट गैनेजमेंट प्लान में उल्लेखित कार्ययोजना के संबंध में सहमति प्राप्त कर सहमति पत्र प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्तानुसार कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान में उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कगांक 1198 दिनांक 21/12/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 23/03/2017 द्वारा उपरोक्त बिंदुओ को शामिल करते हुये संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना प्ररतुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नरती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. विचाराधीन खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केंन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

3. ग्राम पंचायत कुम्हारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

5. प्रस्तुत संयुक्त पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसारः–

- रेत खदानों में कार्यरत होने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 50 होगी।
- रेत खदान के आसपास ग्राम के निवासियों को रेत खनन कार्य से रोजगार प्रदान करते हुए प्राप्त राशि से पंचायत द्वारा आसपास के क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के कार्य किये जावेंगे।
- नदी/नाला के तटों पर एवं पहुंच मार्गों पर 5500 वृक्ष/वर्ष लगाया जावेगा।
- रेत ढोने वाले मालवाहकों से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु मार्ग में जल छिडकाव किया जावेगा। रेत को तालपत्री/तारपोलिन से ढ़ंककर परिवहन किया जावेगा।
- नैसर्गिक जल प्रवाह तंत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। नदी में खनन क्षेत्र या उसके पास से होकर यदि कोई जल प्रवाह तंत्र बनता है तो प्रवाह तंत्र के दोनों छोर पर 10 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुए रेत का खनन सुनिश्चित किया जावेगा। नदी तट से 10 मीटर की दूरी तक खनन कार्य प्रतिबंधित किया जावेगा। नदी/नाला, तालाब आदि में दूषित जल की निकासी नहीं होगी। स्वच्छता के सभी उपाय किये जावेंगे।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पार्ट ऑफ खसरा नं. 1882, ग्राम– कुम्हारी (रेत खदान कुम्हारी–डी), ग्राम पंचायत कुम्हारी, तहसील– आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नरती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये पार्ट ऑफ खसरा नं. 1882, ग्राम– कुम्हारी (रेत खदान कुम्हारी–डी), ग्राम पंचायत कुम्हारी, तहसील– आरंग,

जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 6.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 60,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावेः–

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

9. **सरपंच, ग्राम पंचायत अंधरीकछार, ग्राम–अंधरीकछार, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (485)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58588/2016, यह आवेदन दिनांक 24/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 4058/खनि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 08/09/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 28, ग्राम–अंधरीकछार, ग्राम पंचायत अंधरीकछार, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, कुल लीज क्षेत्र 11.687 हेक्टेयर में है। उत्खनन हाफ नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर (85,000 टन) / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैंः–

1. ग्राम पंचायत अंधरीकछार दिनांक 10/07/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–कबीरधाम के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 524/ खनि.लि./ 2016 कबीरधाम दिनांक 12/08/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–अंधरीकछार 800 मीटर की दूरी पर है। प्रायमरी स्कूल ग्राम– अंधरीकछार 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। पचराही एतिहासिक स्थल 1. 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 3.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 12 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 18 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 3,50,610 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती शाहिना खान, सरपच एवं श्री श्यामू जायसवाल, सचिव, ग्राम पंचायत अंधरीकछार तथा श्री खिलावन कुलार्य, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 28, रकबा– 11.687 हेक्टेयर, क्षमता– 2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 615 दिनांक 07/06/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया।
2. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी:**– जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच / सचिव द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष में 150 घनमीटर उत्खनन किया गया है। पूर्व में रेत खदान स्थल का सीमांकन किया गया था, वर्तमान में मौके पर सीमांकित नहीं है। उत्खनन हेतु रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
4. स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई की जांच कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी, वर्तमान में मौके पर पक्के मुनारे लगाकर सीमांकन करने, खदान की सीमा से पुलिया की दूरी संबंधी प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई संबंधी प्रमाण पत्र (पंचनामा सहित) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 1026 दिनांक 04/11/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में मौके पर पक्के मुनारे लगाकर सीमांकन करने, खदान की सीमा से पुलिया की दूरी संबंधी प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में स्थल पर रेत उपलब्धता की गहराई संबंधी प्रमाण पत्र (पंचनामा सहित) जानकारियाँ / दस्तावेज दिनांक 15/12/2016 को प्रस्तुत किया गया है। प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्यों के

अनुसार "ग्राम पंचायत अंधरीकछार, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम के खसरा नं. 28 के रकबा 11.687 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत खदान चिन्हित एवं घोषित है। उक्त रेत खदान में लगभग 03 मीटर गहराई तक प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध है। खदान की सीमा से पचराही पुलिया की दूरी लगभग 180 मीटर है।"

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 212वीं बैठक दिनांक 09/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि उपरोक्त जानकारियाँ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 1374 दिनांक 20/02/2017 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला–कबीरधाम के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 524/ खनि.लि./ 2016 कबीरधाम दिनांक 12/08/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–अंधरीकछार) का रकबा 11.687 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत अंधरीकछार का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हाफ नदी छोटी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 28, ग्राम–अंधरीकछार, ग्राम पंचायत अंधरीकछार, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, कुल लीज क्षेत्र 11.687 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर

/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही उत्खनन कार्य पुलिया से कम से कम 200 मीटर की दूरी को छोड़कर करने हेतु शर्त अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 28, ग्राम–अंधरीकछार, ग्राम पंचायत अंधरीकछार, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, कुल लीज क्षेत्र 11.687 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावे:–

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

10. सरपंच, ग्राम पंचायत खांड़ा, ग्राम–खांड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (486)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 58633/2016, यह आवेदन दिनांक 27/08/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 355/ख.लि.2/खनिज/रेत खदान/2016 दुर्ग, दिनांक 17/05/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 240, ग्राम–खांड़ा, ग्राम पंचायत खांड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 8.50 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–85,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत खांड़ा दिनांक 07/01/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 598/ख.लि. 2/खनिज/रेत खदान/2016 दुर्ग दिनांक 06/06/2016 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 के भीतर 02 खदानें ग्राम–बिरेझर रकबा 5.0 हेक्टेयर (850 मीटर की दूरी पर) एवं ग्राम–रूदा रकबा 3.57 हेक्टेयर (390 मीटर की दूरी पर) है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–खांड़ा) का रकबा 8.50 हेक्टेयर

है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–खांड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 17.07 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तावित रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–खांड़ा 01 किलोमीटर है। स्कूल एवं मंदिर ग्राम–खांड़ा 1.50 किलोमीटर तथा अस्पताल ग्राम–निकुम 05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किलोमीटर की दूरी पर है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर से अधिक

4. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – औसत 1.0 मीटर

5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – औसत 60 मीटर

6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 165 मीटर

7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 85,000 घनमीटर

8. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ के पत्र दिनांक 08/09/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 203वीं बैठक दिनांक 14/09/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती किरण देशमुख, संरपच, ग्राम पंचायत खांड़ा उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था किः–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र / नक्शे में दर्शाये गये खदानों का विवरण एवं प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित सरपंच द्वारा बताई गई जानकारी में भिन्नताएं है।

2. प्रस्तुत प्रमाण पत्र में दर्शाई गई खदानों की स्थिति के अनुसार ग्राम–बिरेझर रेत खदान (रकबा 5.0 हेक्टेयर) 850 मीटर की दूरी पर एवं तत्पश्चात् 390 मीटर की दूरी पर ग्राम–रूदा रेत खदान (रकबा 3.57 हेक्टेयर) नदी की लम्बाई में स्थित है। प्रस्तुत नक्शे के अनुसार रेत खदान बिरेझर एवं प्रस्तावित रेत खदान नदी के दोनों किनारों पर दर्शाई गई है। खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई औसतन 165 मीटर बताई गई है। अतः प्रमाण पत्र एवं नक्शे में विसंगतियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट कराई जावे। साथ ही इस खदान की सीमा से 500 मीटर

की दूरी पर स्थित अन्य रेत खदानों के संबंध में वास्तविक नाप कर प्रमाण पत्र मंगाया जावे।

3. यदि आवेदित रेत खदान की सीमा से 500 मीटर के भीतर स्थित / स्वीकृत अन्य खदानें 09/09/2013 के पश्चात् कलेक्टर द्वारा अधिसूचित की गई हो तो भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित होने पर उपरोक्त सभी खदानों हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जाना अनिवार्य होगा।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारियाँ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1022 दिनांक 04/11/2016 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग द्वारा जानकारी/ दस्तावेज पत्र दिनांक 20/02/2017 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार :–

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के पत्र कमांक 2565/ख.लि. 2/खनिज/रेत खदान/2017 दुर्ग दिनांक 20/02/2017 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र **(परिशिष्ठ–4)** अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। इसी प्रकार पत्र कमांक 2565/ख.लि. 2/खनिज/रेत खदान/2017 दुर्ग दिनांक 20/02/2017 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र **(परिशिष्ठ–3)** अनुसार आवेदित रेत खदान खाड़ा से 620 मीटर की दूरी पर चंगोरी रेत खदान बताया गया है। खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा जारी दोनों प्रमाण पत्रों में विसंगतियॉ है। दोनों प्रमाण पत्रों को एक ही जावक कमांक से जारी किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि संचालक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, रायपुर को उपरोक्त विसंगतियों एवं दो पृथक–पृथक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जॉच कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने बाबत् अनुरोध किया जावे। यह भी अवगत कराया जावे कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के रेत खदानों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित जिलों के माईनिंग इंस्पेक्टर उपस्थित रहते हैं। किन्तु दुर्ग जिले की रेत खदानों के प्रस्तुतीकरण के दौरान माईनिंग इंस्पेक्टर उपस्थित नहीं होते है तथा बार–बार प्रमाण पत्रों में परिवर्तन करते हैं, जिससे समिति का समय नष्ट होने के साथ प्रकरण में निर्णय/अनुशंसा करने में विलंब होता है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 41 दिनांक 10/04/2017 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के पत्र दिनांक 18/04/2016 द्वारा जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नरती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के पत्र कमांक 179/ख.लि. 2/खनिज/रेत खदान/2017 दुर्ग दिनांक 18/04/2017 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान

(ग्राम–खाड़ा) का रकबा 8.50 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

3. ग्राम पंचायत खाड़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3.0 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 240, ग्राम–खांड़ा, ग्राम पंचायत खांड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 8.50 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 85,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 240, ग्राम–खांड़ा, ग्राम पंचायत खांड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग, कुल लीज क्षेत्र 8.50 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 85,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न शर्त जोड़ी जावेः–

"वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जावे। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

11. सरपंच, ग्राम पंचायत मेड़ेसरा, ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (273)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 37713/2016, यह आवेदन दिनांक 01/01/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 212/ख.नि 02/रेत (ईसी)/न.क्र. 38/1996 नया रायपुर दिनांक 11/01/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 103, ग्राम–मेड़ेसरा, ग्राम पंचायत मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग,

कुल लीज क्षेत्र 5.36 हेक्टेयर में है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. ग्राम पंचायत मेड़ेसरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1752 / ख.लि. 2 / खनिज / रेत खदान / 2015 दुर्ग दिनांक 04 / 12 / 2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 01 खदान बसनी रकबा 6.923 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) का रकबा 5. 36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) को मिलाकर कुल रकबा 12.283 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्रीमती प्राची अवस्थी, उपसंचालक, खनि. प्रशा, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, नया रायपुर छत्तीसगढ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–मेड़ेसरा स्थित है। स्कूल 4.0 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम–मेड़ेसरा 4.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 300 मीटर की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – 2.0 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौडाई – औसत 100 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 210 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,07,200 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए. सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12 / 02 / 2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए. सी, छत्तीसगढ़ की 184वीं बैठक दिनांक 17 / 02 / 2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। प्रस्तुतीकरण के लिए श्रीमती ज्योति साहू, सरपंच एवं श्री कल्याण साहू, सचिव, ग्राम पंचायत मेड़ेसरा उपस्थित थे। माईनिंग अधिकारी / माईनिंग इंस्पेक्टर प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित नहीं थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में रेत खदान खसरा नं.– 103, रकबा–5.36 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 2048 दिनांक 07 / 08 / 2014 के द्वारा दिनांक 31 / 03 / 2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 459

दिनांक 12/05/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1752/ ख.लि. 2/ खनिज/रेत खदान /2015 दुर्ग दिनांक 04/12/2015 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर कुल 01 खदान बसनी रकबा 6.923 हेक्टेयर है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) का रकबा 5.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) को मिलाकर कुल रकबा 12.283 हेक्टेयर है।

3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।

4. ग्राम पंचायत मेड़ेसरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

5. उल्लेखनीय है कि पूर्व में खनि अधिकारी जिला–दुर्ग द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 29/04/2014 में रेत खदान ग्राम–मेड़ेसरा की सीमा से 1000 मीटर के भीतर बसनी रकबा 6.923 हेक्टेयर एवं करेली रकबा 4.32 हेक्टेयर बताया गया था। वर्तमान में खनि अधिकारी जिला–दुर्ग के पत्र दिनांक 04/12/2015 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित रेत खदान ग्राम–मेड़ेसरा की सीमा से 1000 मीटर के भीतर केवल एक खदान बसनी रकबा 6.923 हेक्टेयर बताया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित सरपंच एवं सचिव द्वारा इस बाबत् संतोषजनक जानकारी/ वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। माईनिंग अधिकारी/माईनिंग इंस्पेक्टर भी प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित नहीं थे, फलस्वरूप स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रमाण पत्रों के संबंध में कलेक्टर, जिला–दुर्ग को पत्र प्रेषित कर वस्तुस्थिति की जांच उपरांत सही प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 6031 दिनांक 28/03/2016 के परिपेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के पत्र दिनांक 06/04/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 03 खदानें मेड़ेसरा, खसरा नं. 01, रकबा 6.793 हेक्टेयर, दक्षिण में लगा हुआ, बसनी रकबा 6.923 हेक्टेयर, उत्तर में लगा हुआ एवं करेली रकबा 1.74 हेक्टेयर, पश्चिम में 147 मीटर की दूरी में स्थित है। आवेदित रेत खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) का रकबा 5.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित रेत खदान (ग्राम–मेड़ेसरा) को मिलाकर कुल रकबा 20.816 हेक्टेयर है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 198वीं बैठक दिनांक 15/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 198वीं बैठक दिनांक 15/06/2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के

पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी दिनांक 30/08/2016 को प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 207वीं बैठक दिनांक 20/10/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दुर्ग के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06/04/2016 से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर 03 खदानें मेडेसरा, खसरा नं. 01, रकबा 6.793 हेक्टेयर, दक्षिण में लगा हुआ, बसनी रकबा 6.923 हेक्टेयर, उत्तर में लगा हुआ एवं करेली रकबा 1.74 हेक्टेयर, पश्चिम में 147 मीटर की दूरी में स्थित है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधन अधिसूचना दिनांक 01/07/2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित हो रहा है। अतः उपरोक्त सभी खदानों हेतु कॉमन इन्वायरोनमेंट मैनेजमेंट प्लान मंगाया जाना अनिवार्य है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी में हस्ताक्षर नहीं होने के कारण हस्ताक्षरित जानकारी मंगाई जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त जानकारियाँ / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/12/2016 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को उक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 02/01/2017 (प्राप्ति दिनांक 19/04/2017) के द्वारा मेड़ेसरा रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को नस्तीबद्ध करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत मेडेसरा के द्वारा बैठक दिनांक 20/10/2016 प्रस्ताव क्रमांक 11 पारित कर घोषित रेत खदान ख.न. 103 को पानी वाले क्षेत्र जिसका कुल रकबा 5.36 है, को घटाकर 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र संशोधित अधिसूचना जारी करने हेतु खनिज शाखा दुर्ग को आवेदन प्रस्तुत किया गया। अतः मेड़ेसरा में रेत खदान पर्यावरणीय सहमति के लिये प्रस्तुत आवेदन को नस्तीबद्ध करने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को नस्तीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

12. मेसर्स इस्पात इण्डिया, प्लाट नं. 4 एवं 9, ग्राम–सिलतरा, सिलतरा एण्डस्ट्रीयल एरिया फेस–II, तहसील व जिला–रायपुर (536)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी / आईएनडी / 61268/2016, यह आवेदन दिनांक 24/12/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् प्लाट नं. 4 एवं 9, सिलतरा एण्डस्ट्रीयल एरिया फेस–II, तहसील एवं जिला–रायपुर, कुल क्षेत्रफल –. 3.952 एकड़ में इंडक्शन फर्नेस क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 59,000 टन/वर्ष एवं री–रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 55,000 टन/वर्ष के (क्षमता विस्तार उपरांत) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का विनियोग रुपये 681.7 लाख एवं क्षमता विस्तार उपरांत कुल विनियोग रुपये 1574.89 लाख प्रस्तावित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 212वीं बैठक दिनांक 09/01/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. पूर्व में जारी जल एवं वायु सम्मति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया जावे।
2. उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे।
3. वर्तमान में स्थापित तथा क्षमता विस्तार के अंतर्गत प्रस्तावित इकाईयों में ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले कोल की मात्रा, प्रोड्युसर गैस प्लांट की क्षमता (यदि प्रस्तावित हो), स्थापित एवं प्रस्तावित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण, ठोस अपशिष्ट यथा सिंडर / एश की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था तथा चिमनी ऊंचाई की उपयुक्तता संबंधी गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 17/02/2017 को लिखा गया। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 16/02/2017 के द्वारा सूचित किया गया।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 216वीं बैठक दिनांक 20/02/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री साहिल सिंग्ला एवं श्री योगेश गुप्ता, पार्टनर तथा श्री विकास ठाकुर, एडमिन ऑफिसर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से स्टील रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रु इण्डक्शन फर्नेस) – 30,000 टन / वर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति पत्र दिनांक

07/11/2016 द्वारा प्राप्त की गई है। वर्तमान में उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस विथ सीसीएम क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 59,000 टन/वर्ष एवं री–रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 55,000 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 09/06/2008 के द्वारा बिलेट्स/इंगाट्स (24,000 टन / वर्ष से 1,00,000 टन / वर्ष) एवं रोल्ड स्टील प्रोड्क्ट 30,000 टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था। इस पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि समाप्त हो गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त क्षमता विस्तार संबंधी परियोजना बाजार की स्थिति उपयुक्त नहीं होने के कारण आरंभ नहीं किया जा सका। फलस्वरूप इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया है।

2. पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति में निहित शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

3. पूर्व से इण्डक्शन फर्नेश विथ सीसीएम 2 नग 7 टन क्षमता एवं 1 नग 6 टन क्षमता का स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत अतिरिक्त इण्डक्शन फर्नेश की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। क्षमता विस्तार के तहत कार्य क्षमता में वृद्धि कर कार्यकारी घण्टा 7,500 घण्टा/वर्ष करना प्रस्तावित है। वर्तमान में रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की गई है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु भी रोलिंग मिल में री–हीटिंग फर्नेस की स्थापना नहीं की जावेगी।

4. समीपस्थ शहर रायपुर 23 कि.मी. की दूरी में स्थित है। स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा माना, रायपुर 40 कि.मी., रेल्वे स्टेशन रायपुर 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

5. 15 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

6. परियोजना हेतु शेड एरिया 1.92 एकड (49 प्रतिशत), वृक्षारोपण 1.30 एकड़ (33 प्रतिशत) एवं ओपन एरिया 0.70 एकड़ (18 प्रतिशत) है। प्लांट द्वारा ग्राम पंचायत सांकरा में कुल 1.25 एकड़ भूमि पर भी अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जावेगा।

7. क्षमता विस्तार उपरांत 28 किलोलीटर/ दिन (इंडस्ट्रीयल हेतु 25 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 03 कि.ली./दिन) जल की आवश्यकता होगी। जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि से की जावेगी।

8. परियोजना में 10.24 मेगावाट बिजली की खपत होना प्रस्तावित है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड से की जावेगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

9. ईकाई से मिल स्केल – 1180 मीट्रिक टन /वर्ष, स्लेग – 1770 मीट्रिक टन /वर्ष, मिस रोल एण्ड इण्ड कटिंग – 1375 मीट्रिक टन /वर्ष एवं रगिंग मॉस, टंडिस लाईनिंग आदि – 100 मीट्रिक टन /वर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिसा–रोल को मिनी स्टील प्लांट एवं मिल स्केल को फेरो एलायज निर्माण ईकाईयों को बेचा जायेगा। स्लेग को मेटल रिकवरी युनिट्स को

दिया जावेगा। रमिंग मॉस, टंडिस लाईनिंग आदि को ईट निर्माण ईकाईयों को तथा भू–भरण आदि में अपवहन किया जायेगा।

10. घरेलु दूषित जल की मात्रा 2.0 कि.ली./दिन होगी, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट बनाई जायेगी। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को पुर्नउपयोग किया जावेगा। औद्योगिक प्रकिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

11. इंडक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु केवल सक्शन हुड एवं फेन/चिमनी की व्यवस्था है। चिमनी की उंचाई 30 मीटर है। इंडक्शन फर्नेस में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम उपकरण यथा बेग फिल्टर / रकबर स्थापित नहीं है।

12. क्षमता विस्तार के तहत् इंडक्शन फर्नेस में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मि.ग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

13. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की गई है।

समिति द्वारा तत्समय निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

(अ) उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जावे।

(ब) वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। कुल परियोजना क्षेत्र के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इस हेतु वृक्षारोपण का क्षेत्र बढ़ाकर ले–आउट में दर्शाते हुए वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में करने हेतु एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र दिनांक 05/04/2017 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सर्कुलर दिनांक 25/08/2009 लागू नहीं होने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर) से अभिमत की आवश्यकता नहीं होने तथा शीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 70वीं बैठक दिनांक 07/04/2017 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती एवं परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/04/2017 का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/04/2017 को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को विचार कर उपयुक्त अनुशंसा करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

उद्योग स्थल सिवियरली पॉलुटेड एरिया में होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर से क्षमता विस्तार के संबंध में अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 17/02/2017 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अभिमत पत्र दिनांक 19/04/2017 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक

के पत्र दिनांक 05/04/2017 एवं छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के पत्र दिनांक 19/04/2017 का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि सदस्य सचिव, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 19/04/2017 के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 07/04/2017 के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन को मूलतः संलग्न करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति को प्रेषित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर अपने पत्र में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है:-

"किसी भी औद्योगिक इकाई के स्थापना से आसपास का परिवेश प्रभावित होता है एवं इसके पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभावों के शमन के लिये प्रभावी उपाय किये जाते हैं। इण्डक्शन फर्नेस इकाई द्वारा हॉट चार्जिंग के माध्यम से सीधे रोल्ड प्रोडक्ट्स का निर्माण किये जाने की प्रक्रिया विद्युत आधारित होने एवं किसी भी प्रकार के ईंधन आदि के उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में प्रभावी एवं सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था किये जाने से उक्त इकाई की स्थापना से डस्ट पार्टिकल की मात्रा में प्रभावी वृद्धि की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण पर कृपया उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।"

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किये जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किये गये हैं:-

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

उद्योग स्थल अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने एवं क्षमता विस्तार उपरांत क्षमता 60,000 टन प्रतिवर्ष से कम होने के दृष्टिगत उपरोक्त गाईडलाईन के अनुसार समिति द्वारा क्षमता विस्तार संबंधी कार्यकलाप केटेगरी 'बी2' श्रेणी के अंतर्गत माना गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर के अभिमत के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्लाट नं. 4 एवं 9, सिलतरा एण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-II, तहसील एवं जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल – 3.952 एकड में इंडक्शन फर्नेस क्षमता-30,000 टन/वर्ष से 59,000 टन/वर्ष एवं री-रोलिंग मिल क्षमता-30,000 टन/वर्ष से 55,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये प्लाट नं. 4 एवं 9, सिलतरा एण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-II, तहसील एवं जिला-रायपुर, कुल क्षेत्रफल –3.952 एकड में इंडक्शन फर्नेस क्षमता-30,000 टन/वर्ष से 59,000 टन/वर्ष एवं री-रोलिंग मिल

क्षमता–30,000 टन/वर्ष से 55,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावे।

13. मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर (527)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 17775/ 2016, यह आवेदन दिनांक 16/11/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में टीओआर हेतु दिनांक 17/04/2015 को आयरन ओर उत्पादन क्षमता – 01 मिलियन टन / वर्ष के टीओआर बाबत् कुल एरिया 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 4.5 करोड़ है।

मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एलॉगविथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक बरतर/लौह/खपो–465/नाग/2016/41–रायपुर दिनांक 24/08/2016 (अवधि 2017–18 से 2021–22 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2594 दिनांक 09/09/2015 के द्वारा उद्योग को बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/11/2016 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 64 दिनांक 17/04/2017 द्वारा लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र दिनांक 21/04/2017 के माध्यम से 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत फॉर्म–01, माईनिंग प्लान, ईआईए रिपोर्ट, लेण्ड एरिया स्टेटमेंट आदि में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन स्थापित करने हेतु प्रस्ताव / तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावित 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग एवं फॉगिंग सिस्टम की व्यवस्था के साथ स्थापित किया जाना है, जिससे पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक 64 दिनांक 17/04/2017 के द्वारा कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन की स्थापना करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी करने की अनुशंसा की गई:–

1. कशिंग युनिट (प्राथमिक एवं द्वितीयक) की क्षमता 150 टीपीएच एवं डबल डेकर पॉवर स्कीनिंग युनिट की क्षमता 250 टीपीएच से अधिक नहीं होगी।
2. कशिंग यूनिट एवं स्क्रीनिंग यूनिट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कलेक्टिंग हुड के साथ उपयुक्त क्षमता के बेग फिल्टर्स की स्थापना किया जावे। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कशिंग एवं स्कीनिंग यूनिट के विभिन्न बिन्दुओं पर वाटर स्प्रिंकलिंग एवं फॉगिंग सिस्टम की स्थापना किया जावे तथा ग्रीन नेट से ढंका जावे।
3. कशिंग यूनिट एवं स्कीनिंग यूनिट एरिया में विन्ड ब्रेकिंग वॉल बनाया जावे।
4. यह सुनिश्चित किया जावे कि पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा किसी भी परिस्थिति में 50 मिलिग्राम / सामान्य घनमीटर से अधिक न हो।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये कुल लीज क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर, ग्राम–मेटाबोडली, तहसील–पंखाजुर, जिला–कांकेर में क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर उत्खनन – 01 मिलियन टन / वर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 150 टीपीएच क्षमता का क्रशर (प्राथमिक एवं द्वितीयक) तथा 250 टीपीएच क्षमता का डबल डेकर पॉवर स्क्रीन की स्थापना करने हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में तदानुसार संशोधन जारी किया जावे।

14. मेसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड (अरसमेटा पावर प्लांट), ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा (582)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / टीएचई / 18884/2017, यह आवेदन दिनांक 18/03/2017 के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्ररतावक द्वारा कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 18 मेगावाट की खसरा नं. 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56, ग्राम–अरसमेटा,

तहसील– अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.) में स्थापना हेतु टीओआर बाबत् हेतु आवेदन किया गया है। स्थापित सीमेंट प्लांट के भीतर कुल प्लाट एरिया 82.0 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर एरिया में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 119.57 करोड़ है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा विचाराधीन प्रकरण को वापस लेने हेतु पत्र दिनांक 21/04/2017 के द्वारा अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 224वीं बैठक दिनांक 21/04/2017 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 21/04/2017 द्वारा मेसर्स लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड का नाम परिवर्तन होकर मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि नया आवेदन मेसर्स नुवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से प्रस्तुत किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को वापस लेने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

एजेण्डा कमांक – 3 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. सचिव, ग्राम पंचायत गौरभाट, ग्राम–गौरभाट, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (457)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 53879/2016, यह आवेदन दिनांक 18/05/2016 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, छ.ग. के पत्र कमांक 1147/ख.लि. /तीन–6/रेत खदान/2016, रायपुर दिनांक 26/05/2016 के द्वारा अग्रेषित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन मे प्रेषित जानकारी में कमियां होने के कारण परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 25/05/2016 के द्वारा जानकारी मंगाई गई। उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 01/09/2016 को प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 1869, ग्राम–गौरभाट, ग्राम पंचायत गौरभाट, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 7.0 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,26,000 घनमीटर / वर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित रेत खदान से 1000 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य आवेदित रेत खदानों की संख्या निरंक है।
3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 100 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
4. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो श्री महिपाल सिंह कंवर, उपसंचालक, जिला– रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–गौरभाट 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–गौरभाट 2.0 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. की दूरी में स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 10.0 मीटर
4. आवेदन अनुसार रेत खनन की गहराई – औसत 2.5 मीटर
5. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 140 मीटर
6. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 900 मीटर
7. आवेदन अनुसार उपलब्ध रेत की मात्रा – 1,26,000 घनमीटर

प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/10/2016 के द्वारा सूचित किया गया। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ की 207वीं बैठक दिनांक 20/10/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री रवि अग्रवाल, संरपच एवं श्री मोहन लाल निषाद, सचिव, ग्राम पंचायत गौरभाट तथा श्री रोहित साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित थे। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि:–

1. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की जानकारी**:– पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही की जानकारी प्ररतुत किया गया है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में रेत खदान खसरा नं. 1869, रकबा–7.0 हेक्टेयर, क्षमता–1,26,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 253 दिनांक 01/05/2014 के द्वारा दिनांक 31/03/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि पत्र कमांक 189 दिनांक 28/04/2015 के द्वारा दिनांक 15/10/2015 तक की अवधि हेतु किया गया।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्ररतुत नहीं किया गया है।
4. पूर्व वर्षो में किये गये रेत उत्खनन आंकडों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच द्वारा जानकारी दी गई कि लगभग 70 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 2,000 पौधे एक माह में रोपण कर लिया जावेगा। गांव में पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध है। अतः स्थानीय रूप से रोजगार के दृष्टिकोण से रेत उत्खनन श्रमिकों से (मेनुअल) कराया जावेगा। मशीनों का उपयोग उत्खनन हेतु नहीं किया जावेगा।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 207वीं बैठक दिनांक 20 / 10 / 2016 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी दिनांक 07 / 11 / 2016 को प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः—

1. ग्राम पंचायत गौरभाट का दिनांक 30 / 08 / 2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा दिनांक 24 / 10 / 2016 को जारी प्रमाण पत्र में नदी किनारे 2000 पौधों के वृक्षारोपण बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि स्थानीय रूप से रोजगार के दृष्टिकोण से रेत उत्खनन एवं भराई का कार्य श्रमिकों से (मेनुअल) कराया जावेगा।
3. पूर्व वर्षों में किये गये रेत उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2015—16 में 72547 घनमीटर रेत उत्खनन किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार — एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ की 209वीं बैठक दिनांक 07 / 12 / 2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। समिति द्वारा नस्ती / जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि :—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—रायपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य आवेदित रेत खदानों की संख्या निरंक है। अतः भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01 / 07 / 2016 के अनुसार क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। आवेदित रेत खदान (ग्राम—गौरभाट) रकबा 7.0 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित रेत खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह रेत खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।
2. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
3. ग्राम पंचायत गौरभाट का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुर्नभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है, अतः वर्षाकाल में सामान्यतः 1.0 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुर्नभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) कराया जावे ताकि रेत के पुर्नभरण (रिप्लेनिशमेंट) बाबत् सही आंकड़े प्राप्त हो सके, जिससे रेत खदान की सही क्षमता का आंकलन किया जा सके। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 1869, ग्राम—गौरभाट, ग्राम पंचायत

गौरभाट, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 7.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.0 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुये कुल 70,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 68वीं बैठक दिनांक 04/01/2017 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय नोट किया गया कि आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से श्री धनेन्द्र साहू, माननीय विधायक, अभनपुर जिला – रायपुर से जिला–रायपुर, गरियाबंद एवं महासमुंद में रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। पत्र में मुख्य रूप से एनीकट के जल भराव को समाप्त करने, एनीकट में कई स्थानों पर छेड़कानी करने, गेट खोलकर पानी बेवजह बहा देने रेत उत्खनन से नदी में काफी बड़े–बड़े गढ्ढे होने, रेत का पुर्नभरण नहीं होने, स्वीकृत खसरा की भूमि के अतिरिक्त रकबे में उत्खनन करने, मशीनों द्वारा उत्खनन करने, नदी की सतह में मुरूम, मिट्टी, बेशरम की झाड़ियां आदि से पाटकर रास्ता निर्माण करने, महानदी में कछुओं की संख्या में कमी आने, पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व सिल्टेशन स्टडी कराने आदि तथ्यों का उल्लेख कर पत्र में उल्लेखित ग्रामों की रेत खदानों को लीज पर नहीं देने तथा इन खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं देने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण के अध्यक्ष, डॉ. डी.एस. बल एवं सदस्य, डॉ. एम. एल. नाईक द्वारा स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

प्राधिकरण के अध्यक्ष, डॉ. डी.एस. बल एवं सदस्य, डॉ. एम. एल. नाईक द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 02/05/2017 को किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में प्रकरण पर पुनः विचार किया गया। प्राधिकरण के समक्ष स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन प्राधिकरण द्वारा किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष, डॉ. डी.एस. बल एवं सदस्य, डॉ. एम. एल. नाईक द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 02/05/2017 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान सरपंच एवं सचिव उपस्थित नहीं हुए। श्री छन्नू धनकर, पंच, ग्राम पंचायत गौरभाट एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

श्री धनेन्द्र साहू, माननीय विधायक, अभनपुर जिला – रायपुर से जिला–रायपुर, गरियाबंद एवं महासमुंद में रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के संदर्भ में रेत उत्खनन स्थल एवं आसपास का निरीक्षण करने पर निम्न मुख्य तथ्यों का अवलोकन किया गया:–

1. समीपस्थ आबादी ग्राम–गौरभाट 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–गौरभाट 2.0 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. की दूरी में स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।

3. प्रस्तावित रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
4. आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य आवेदित रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. यह एक पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। वर्ष 2015–16 में 72547 घनमीटर रेत का उत्खनन किया जाना बताया गया है।
6. स्थानीय रूप से रोजगार के दृष्टिकोण से रेत उत्खनन एवं भराई का कार्य श्रमिकों से (मेनुअल) कराया जावेगा।
7. रेत खनन स्थल पर रेत उपलब्धता की वास्तविक औसत गहराई 2.50 मीटर (नदीतट से 50 मीटर छोड़कर) है।
8. लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे नहीं लगाये गये हैं।
9. परियोजना प्रस्तावक / संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा खदान चिन्हांकित / सीमांकित नहीं होना पाया गया।
10. पूर्व में एस.ई.एस.सी.,छ.ग. के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान सरपंच द्वारा जानकारी दी गई थी कि लगभग 70 नग वृक्षारोपण किया गया है परन्तु वर्तमान में कोई वृक्षारोपण नहीं होना पाया गया।
11. वर्तमान में स्थल पर रेत से वाहनों के आवागमन हेतु रपटा तैयार किया गया है, जिससे जल के बहाव में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इस स्थल से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जबकि रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
12. नदीतट से 50 मीटर दूरी तक खनन योग्य रेत उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में स्थल में जल का भराव है तथा तट की ओर गहरा गढ्ढा हो गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की कई शर्तो का पालन (यथा नदी तट से 10 मीटर छोड़कर उत्खनन करना, रेत उत्खनन 2.5 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं करना, नदी के नैसर्गिक बहाव में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना सुनिश्चित करना, नदी तट पर वृक्षारोपण करना, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था करना) नहीं किया गया है। इस पर्यावरणीय स्वीकृति की वैद्यता वर्तमान में समाप्त हो गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से रेत उत्खनन के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. **एन.आई.टी., रायपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचारः–** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 11/01/2017 के द्वारा एन.आई.टी., रायपुर को निम्न 05 रेत खदानों के निरीक्षण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया थाः–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत टीला, ग्राम – टीला, तहसील – अभनपुर, जिला – रायपुर

2. सरपंच, ग्राम पंचायत गौरभाट, ग्राम – गौरभाट, तहसील – आरंग, जिला – रायपुर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत बम्हनी, ग्राम – बम्हनी, तहसील – महासमुंद, जिला – महासमुंद
4. सरपंच, ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम – परसदा, तहसील – राजिम, जिला – गरियाबंद
5. सरपंच, ग्राम पंचायत पितईबंद, ग्राम – पितईबंद, तहसील – राजिम, जिला – गरियाबंद

एन.आई.टी., रायपुर के पत्र दिनांक 22/05/2017 के द्वारा उपरोक्त रेत खदानों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। प्राधिकरण की 72वीं बैठक दिनांक 27/05/2017 में प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मुख्य तथ्य निम्नानुसार हैं:–

1. ग्राम पंचायत गौरभाट की रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 15/10/2015 को समाप्त हो जाने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बम्हनी, ग्राम पंचायत पितईबंद एवं ग्राम पंचायत परसदा जोशी की रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति वैध होने के उपरांत भी काफी लंबे से उत्खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। केवल ग्राम पंचायत टीला की रेत खदान में उत्खनन कार्य किया जा रहा है। टीला की रेत खदान में मेनुवली (Manually) किया जाना पाया गया है।
2. ग्राम पंचायत टीला, बम्हनी एवं गौरभाट की खदानें निस्दा एनिकट एवं टीला एनिकट के मध्य स्थित है। परसदा जोशी की खदान टीला एनिकट तथा रावड एनिकट के मध्य स्थित है। पितईबंद की खदान रावड एनिकट एवं राजिम एनिकट के मध्य स्थित है।
3. निरीक्षण की गई सभी 05 रेत खदानों में उत्खनन क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन किया जाना नहीं पाया गया। अतः स्वीकृत भूमि से अधिक रकबे में रेत उत्खनन किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
4. ग्राम पंचायत गौरभाट एवं बम्हनी की रेत खदानों का काफी हिस्सा जलमग्न पाया गया।
5. ग्राम पंचायत टीला एवं परसदा जोशी एवं पितईबंद की रेत खदान में काफी मात्रा में सूखी रेत का भण्डारण दृष्टिगत हुआ। अनेक स्थानों पर नदी की सतह एवं सतह के नीचे के जल स्तर के मध्य लगभग 2 से 3 मीटर गहरायी तक सूखी रेत का भण्डारण दृष्टिगत हुआ। उपरोक्त पांचों रेत खदानों में रेत पुनर्भरण एवं सिल्टेसन स्टडी नहीं कराई गई है। अतः रेत पुनर्भरण का आंकलन करना संभव नहीं है।
6. महानदी में कछुओं की प्राप्ति एवं उनके प्रजनन क्षेत्र के बारे में उपलब्ध साहित्य और ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित क्षेत्र कछुओं का प्रजनन क्षेत्र घोषित नहीं है स्थल निरीक्षण के द्वारा कछुओं की संख्या की कमी का निर्धारण करना संभव नहीं है।

7. ग्राम पंचायत परसदा जोशी की रेत खदान महानदी के दाहिनी तट पर स्थित है। स्थल विशेष पर नदी का पाट लगभग 1000 मीटर चौंड़ा दृष्टिगत हुआ। बायी तट पर नदी का प्रवाह दृष्टिगत हुआ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1- ग्राम पंचायत गौरभाट, ग्राम – गौरभाट, तहसील – आरंग, जिला – रायपुर के खसरा नं. 1869, कुल लीज क्षेत्र 7.0 हेक्टेयर में रेत उत्खनन क्षमता–1,26,000 घनमीटर / वर्ष हेतु प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आवेदन एजेण्डा क्रमांक – 3 के सरल क्रमांक 01 के अनुसार प्रस्तुत आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

2. ग्राम पंचायत गौरभाट, ग्राम – गौरभाट, तहसील – आरंग, जिला – रायपुर के रेत खदान का एन.आई.टी., रायपुर द्वारा किये गये निरीक्षण एवं प्राधिकरण के द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान वर्तमान में कोई वृक्षारोपण नहीं होना पाया गया है। इसी प्रकार एन.आई.टी., रायपुर द्वारा अन्य रेत खदानों में किये गये निरीक्षण में वृक्षारोपण संतोषजनक ढंग से नहीं होना पाया गया है। अतः रेत खदानों में वृक्षारोपण कराने हेतु विशेष ध्यान दिया जावे।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालनार्थ सक्षम ढंग से कार्यवाही नहीं करने के कारण शेष रेत खदानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे कि क्यों नहीं उनको जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संजय शुक्ला)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. डी.एस. बल)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. एम.एल. नाईक)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़